


भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चंगलपट्ट, सहायक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबन्ध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चंगलपट्ट में सहायक फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री अम्बा दत्त बवाड़ी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।



(अम्बा दत्त बवाड़ी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,.....2019

सा.का.नि.राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुंक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, तमिलनाडू में सहायक फिजिओथेरेपिस्ट समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1985 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर, एतदद्वारा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, तमिलनाडू में सहायक फिजिओथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती कि पदति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः:

23. लघु शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों को केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, तमिलनाडू सहायक फिजिओथेरेपिस्ट, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(4) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में ये स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती कि पदति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती कि पदति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. अनर्हता-कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जिवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती हैं, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक फिजिओथेरेपिस्ट	एक पद * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकती है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-4 (रु. 25500 से 81100)	लागु नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच(केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक ढील दी जा सकती है) रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि अंतिम तिथि होगी, जिसके तहत रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पदति भर्ती सीधे होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पदतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं पास (ii) फिजिओथेरेपी में डिप्लोमा (2 वर्ष)/ किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजिओथेरेपी में स्नातक (iii) पाठ्यक्रम को संबंधित राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद / चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में पंजीकृत होना चाहिए। (iv) हड्डी रोग / न्यूरोलॉजिकल विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट / फिजियोथेरेपिस्ट / सहायक फिजियोथेरेपिस्ट / फिजियोथेरेपी तकनीशियन के रूप में दो साल का अनुभव।	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति के द्वारा जिसके नाकाम होने पर सीधे भर्ती के द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	--	---

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति: किसी भी केंद्र सरकार के अस्पताल / संस्थान में असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट / फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के अनुरूप पद वेतन मैट्रिक्स में लेवल -4 में नियमित आधार पद को धारण किया हो तथा स्तम्भ 7 में दिया गया योग्यता रखता हो।</p> <p>या</p> <p>किसी भी केंद्र सरकार के अस्पताल / संस्थान में असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट / फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के अनुरूप पद पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल -3 में पांच साल की रेगुलर सर्विस एवं स्तम्भ 7 में दिया गया योग्यता रखता हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 सहायक निदेशक- - अध्यक्ष 2 उपनिदेशक (ओर्थो) -सदस्य 3 सहायक निदेशक (सर्जिकल) -सदस्य 4 प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य 	<p>लागू नहीं</p>